न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024/415 दर्ज तिथिः–09.09.2024

1. चुनाराम पुत्र डूंगराराम
   जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. गजा पुत्र पदमा
2. कुम्भा पुत्र केतुरा
3. गोरधन पुत्र नगा
4. जगमाल पुत्र शिवजी
5. जमना पत्नी गेना
6. धीराराम पुत्र विरधाराम
7. नवली पत्नी चिमना
8. पार्वती पुत्री मानाराम
9. भूरा पुत्र आदु
10. मंगी पत्नी नगा
11. मूलीदेवी पत्नी मानाराम
12. माला पुत्र आदु
13. रूपा पुत्र टीकमा
14. रूपा पुत्र शिवजी
15. रूपा पुत्र नगा
16. वनूदेवी पत्नी विरधाराम
17. वंसा पुत्र जेहा
18. सालू पुत्र पदमा
19. हनुमान पुत्र केतुरा
20. हरजी पुत्र चिमना
21. हरदान पुत्र गेना
22. मुलाराम पुत्र हीराराम
23. हनुमान पुत्र हीरा
24. लाछीदेवी पत्नी हीराराम
    जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

चुनाराम बनाम गजाराम
2024 / 415
निर्णय दिनांकः—17.01.2025

प्रार्थीः—श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 77 हाल खसरा नम्बर 41 / 16.5683 है0 में प्रार्थी 1 / 8 हिस्से का खातेदार मौजा जाणियों की ढाणी पटवार मण्डल निम्बलकोट तहसील नोखड़ा में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076—2079 में खाता संख्या 77 में प्रार्थी का नाम चिमना पुत्र डुंगरा अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम चूनाराम पुत्र डूंगरराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2076—2079 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम चूनाराम पुत्र डूंगरराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चूनाराम पुत्र डूंगरराम के स्थान पर चिमना पुत्र डुंगरा दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में चिमना पुत्र डुंगरा दुरूस्त कर सही नाम चूनाराम पुत्र डूंगरराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2076—2079 के नवीन खाता संख्या 77 का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
चिमना पुत्र डुंगराम	1 / 8	41 मौजा जाणियों ढाणी	16.5683 है0

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज का विवरण	नाम
बैंक डायरी	चुनाराम
जनाधार कार्ड	चुनाराम पुत्र डूंगराराम
पहचान पत्र	चुनाराम पुत्र डूंगराराम
आधार कार्ड	चुनाराम पुत्र डूंगराराम
राशन कार्ड	चुनाराम पुत्र डूंगराराम

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

   *1. (....) **चिमना एवं चूनाराम दोनों एक ही व्यक्ति** के नाम है।*

   *2. प्रार्थी का जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम चूनाराम अंकित है तथा प्रार्थी को **चूनाराम** नाम से ही जाना जाता है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट चिमना व चूनाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम चूनाराम पुत्र डूंगराराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यदित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज चिमना पुत्र डुंगरा को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट चूनाराम पुत्र डूंगराराम का अंकन करने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।
यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:07 IST
Reason: SelfAttested